

राजस्थान-सरकार

--:: न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राजस्थान)  
पीठासीन अधिकारी, अंकित कुमार सिंह, (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :-21 / 2026

जी.सी.एम.एस. :-2026 / 21

दायर दिनांक :-10.03.2026

फैसल दिनांक :-30.03.2026

श्री सरकार वजरिए भूमिधारी तहसीलदार, डूंगरपुर जिला डूंगरपुर

-अपीलान्ट

वनाम

1. श्री कारीलाल पिता श्री शंकरलाल,
2. श्रीमति करुणा पत्नि श्री कारीलाल,  
निवासीयान-खेमरू तहसील व जिला डूंगरपुर

-विपक्षीगण




1. भूमिधारी तहसीलदार डूंगरपुर -अपीलान्ट
2. श्री कन्हैयालाल पाटीदार, अधिवक्ता विपक्षीगण

प्रकरण अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के  
नियम 14 (4) के तहत  
--:: निर्णय ::-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा खेमरू के खसरा नम्बर 683 रकबा 0.08 हैक्टर भूमि विपक्षीगण को उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर के आदेश क्रमांक :-राजस्व/भू.अ./1903-5 दिनांक 13.01.2022 द्वारा आवंटित की गई थी। विपक्षी को आवंटन हुये 3 वर्ष से अधिक समय होने पर भी शर्तों की पालना नहीं कि गई एवं न ही मौके पर आदिनांक तक कब्जा किया गया है। विपक्षी आवंटी द्वारा आवंटन नियम 14 (3) का स्पष्ट उल्लंघन किया जाने से उक्त आदेश द्वारा आवंटित की गई भूमि को निरस्त करने हेतु प्रार्थी ने राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14 (4) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज कर विपक्षीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण अधिवक्ता कि ओर से अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया विपक्षीगण के नाम से मौजा ग्राम खेमरू पटवार हल्का खेमरू में मौजा गांव खेमरू में वर्तमान खसरा नंबर 683 रकबा 0.08 हेक्टर जमीन का कई वर्षों से कब्जा होने के वजह से हम प्रार्थीगण को विधिवत् आवंटन हुई है। उक्त आराजीयात पर पैतृक कब्जा चला आ रहा है उक्त जमीन पर मकान बना हुआ है तथा कई वर्षों से खेती करते आ रहे है। हमारे साथ आवंटन भूमि को वर्तमान सरपंच के द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी में परिवर्तन करवाया दिया है, सरपंच ने जानबुझ कर हमारी जमीन को गैर खातेदार ही रहने दिया है। उक्त आवंटन जमीन के अलावा हमारे पास अन्य जमीन नहीं है। विपक्षीगण द्वारा नियम 14 (3) का स्पष्ट से पालना की गई है तथा हमारी जमीन गैर खातेदार होने से हमें यह नोटीस जानबुझ कर प्रेषित किय गया है। विपक्षीगण गरीब आदीवासी होकर मुझ प्रार्थीया के नाम राजस्व रेकार्ड में बहुत कम जमीन है जिस कारण हमारी आवंटीत जमीन का आवंटन निरस्त नहीं किया जाना न्यायहीत में आवश्यक है। उक्त खसरा नंबर 573 रकबा 6 हैक्टर पर विपक्षीगणों का पैतृक कब्जा होकर मकान एवं उक्त जमीन को समतलीकरण कर खेती कर रहे है, जिसमें काफी व्यय हुआ है। तथा कई आवंटी जमीन पर कई वर्षों से काशत कर रहे है। जिसके फोटो ग्राफ जवाब के साथ संलग्न है। अतएवं श्रीमान् से प्रार्थना है कि विपक्षीगण उक्त जमीन में किसी प्रकार का राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन नहीं करने की कृपा करे एवं उक्त जमीन हमारे नाम से खातेदार अधिकारी दिलाने का आदेश फरमावे।

  
जिला कलक्टर  
डूंगरपुर

उभयपक्षों की बहस समाप्त की गई। विपक्षीगण कि ओर से उपस्थित योग्य अधिवक्ता द्वारा अपने प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि गौजा गांव खैमारू के वर्तमान खसरा नंबर 683 रकबा 0.06 हेक्टर जमीन का कई वर्षों से कब्जा होने के वजह से विपक्षीगण को विधिवत् आवंटन हुई है। उक्त आराजीयात पर पैतृक कब्जा चला आ रहा है उक्त जमीन पर मकान बना हुआ है तथा कई वर्षों से खेती करते आ रहे हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने निवेदन किया।

प्रार्थी राजकीय परोकार द्वारा अपने कथन में विपक्षी को भूमि कृषि प्रयोजनार्थ राजस्व विभाग द्वारा आवंटित की गई थी। विपक्षी द्वारा आवंटन हुये 3 वर्ष से अधिक समय होने पर भी शर्तों की पालना नहीं की गई एवं न ही मौके पर आदिनांक तक कब्जा किया गया है। विपक्षीगण आवंटि द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया जाने से विपक्षी को आवंटित की गई भूमि का आवंटन निरस्त किया जाए।

मेरे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। मौझा खैमारू के खसरा नम्बर 683 रकबा 0.08 हैक्टर भूमि विपक्षीगण को उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर के आदेश क्रमांक :-राजस्व/भूअ./1903-5 दिनांक 13.01.2022 द्वारा विपक्षीगण को कृषि प्रयोजार्थ आवंटित की गई थी। तहसीलदार डूंगरपुर द्वारा उपरोक्त आवंटित आराजी को निरस्त कराने हेतु अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 पेश किया जिसमें उक्त भूमि पर आवंटन के पश्चात आवंटि द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं किया जाना एवं आवंटित आराजी पर आदिनांक तक कब्जा नहीं होना अंकित किया है। इस प्रकार आवंटि द्वारा नियम 14 (3) की पालना नहीं की है। अतः आवंटन नियमों के उल्लंघन साबित होने से आवंटन खारिज योग्य है।

अतः उपलब्ध अभिलेख एवं प्रतिवेदन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 अपील स्वीकार की जाकर मौझा खैमारू के खसरा नम्बर 683 रकबा 0.08 हैक्टर भूमि विपक्षीगण को उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर के आदेश क्रमांक-राजस्व/भूअ./1903-5 दिनांक 13.01.2022 द्वारा विपक्षीगण को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि को निरस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार डूंगरपुर आवंटित भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

(अंकित कुमार सिंह)  
जिला कलक्टर,  
डूंगरपुर

